

अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने की 5वीं वर्षगाँठ

प्रलिमि्स के लिये:

<u>अनुचछेद 370 और 35A, सर्वोच्च न्यायालय, विशेष दर्जा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनयिम, 2019, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP),</u> औद्योगिक विकास योजना (IDS)

मेन्स के लिये:

अनुचछेद <mark>370,</mark> सर्वोच्च न्यायालय) का फैसला, अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे के कारण, अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रभाव

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों

हाल ही में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पाँचवीं वर्षगाँठ मनाई गई। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

अनुच्छेद 370 क्या था?

- अनुच्छेद 370:
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था।
 - ॰ इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1949 में एक 'अस्थायी उपबंध' के रूप में जोड़ा गया था।
 - अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। इसने राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति दी।
 - ॰ इसके तहत भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों- रक्षा, विदश मामले और संचार के लिये कानून बना सकती थी।
 - यह प्रावधान विलय पत्र (Instrument of Accession) की शर्तों पर आधारित था, जिस परपाकिस्तान के आक्रमण के बाद 1947 में जम्मू और कश्मीर के शासक हरिसिंह ने हस्ताक्षर किये थे।
- अनुच्छेद 370 का निरसन:
 - ॰ **राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order):** वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुएं **जम्मू और कश्मीर की संवधान सभा' को 'जम्मू औ**र कश्मीर की विधान सभा' के रूप में नया अर्थ प्रदान किया।
 - अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिये राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधानसभा की शक्तियों को ग्रहण कर लिया।
 - ॰ **संसद में संकल्प:** संसद के दोनों सदनों, <u>लोकसभा</u> और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किये गए।
 - इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रदद कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया।
 - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियिम: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियिम 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियिम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- 'जम्मू और कश्मीर' तथा 'लद्दाख' में विभाजित कर दिया।
- अन्चछेद 370 पर सरवोचच नयायालय का फैसला:
 - दिसंबर 2023 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **सर्वसम्मति से केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370** को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया तथा राष्ट्रपति के दो आदेशों को वैध ठहराया, जिसने भारतीय संविधान को जम्मू और कश्मीर पर लागू करने को बढ़ा दिया एवं अनुच्छेद 370 को निष्करिय कर दिया।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधनियिम, 2019

- इसने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।
- इसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा प्रदान किया था।
- लेह और कारगिल ज़िले लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में शामिल कर दिए गए, जबकि शेष क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बन गए।
- पाँच लोकसभा सीटें जम्मू-कश्मीर को बरकरार रखी गईं तथा एक सीट लद्दाख को स्थानांतरति कर दी गई।
- विधानमंडल: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या का अनुपात बरकरार रखने के लिये विधानसभा में सीटें आरक्षित रहेंगी।
 - ॰ यदि महिलाओं का प्रतिनिधितिव पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है, तो**उपराज्यपाल** विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधितिव करने के लिये दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
 - ॰ **निर्वाचित विधानसभा 5 वर्ष के लिये होगी** तथा उपराज्यपाल प्रत्येक छह माह में एक बार विधानसभा सत्र को बुलाएंगे।
 - ॰ विधान सभा को भारतीय संविधान की राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले से संबंधित जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिससे के लिये कानून पारति करने का अधिकार है, सवाय "पुलिस" और "सारवजनिक वयवसथा" के।
 - **समवर्ती सूची में निर्दिष्ट कोई भी मामला भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा।** इसके अलावा, संसद के पास जम्मू कश्मीर और उसके केंद्र शासित प्रदेश के लिये कानून बनाने का निर्णय लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) का नरि्णय

- संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया एवं इसके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
 - ॰ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **जम्मू-कश्मीर संप्रभु नहीं है**, क्योंकि जम्मू-कश्मीर संविधान और अनुच्छेद 370 दोनों में कहा गया है कि राज्य को विलय समझौते के माध्यम से अपनी संप्रभुता का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है।
 - SC ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था, क्योंक इसे संविधान के भाग XXI में रखा गया था। विलय के दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा," पूरी तरह से J&K पर लागू होता है।
 - SC ने सहमति व्यक्त की किराष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग करने सहित अपरिवर्तनीय परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ न्यायिक और संवैधानिक जाँच के अधीन हैं।
 - न्यायालय ने माना कि J&K का संविधान निष्क्रिय है क्योंकि भारतीय संविधान अब पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है।

The

अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने की आवश्यकता क्यों थी?

- एकीकरण और विकास: संसाधनों, बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने तथा क्षेत्र को शेष भारत के साथ करने हेतु।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत सरकार द्वारा बेहतर नियंत्रण और सख्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद
 विरोधी प्रयासों को प्रोत्साहति करने हेतु।
- भेदभाव को समाप्त करना: भारतीय कानूनों के तहत महिलाओं, दलितों और अन्य हाशिय पर स्थित समूहों के लिये समान अधिकार एवं अवसर सुनिश्चित करने के लिये, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलै।
- कानूनी एकरूपता: पूरे भारत में एक समान कानून लागू करके कानूनी भ्रम और असमानताओं को समाप्त करने के लिये जिससे सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित हो सकें।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन: बाह्य निवश को प्रोत्साहित कर क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर करने के साधन के रूप में विकसित करने के लिये, हालाँकि जिनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा संपत्ति के अधिकारों के संबंध में भी चिताएँ विद्यमान रहीं।
- राजनीतिक स्थिरता: इस कदम का उद्देश्य एक स्थिर राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फिर से स्थापित करना और स्थानीय शासन में सुधार करना था।


अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

- कानूनों में एकरूपता:
 - निवास कानूनों में बदलाव: अप्रैल 2020 में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिये निवास खंड पेश किया, जिसमें निवास और भरती नियमों को फिर से परिभाषित किया गया। इससे कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में 15 वर्ष से रह रहा है या जिसने 7 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की है और जम्मू-कश्मीर में कक्षा 10वी/12वीं की परीक्षा दी है, वहपहले से जारी स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों की जगह अधिवास प्रमाण पतर के लिये पातर हो गया।
 - भूमिकानूनों में बदलाव: सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में 14 भूमिकानूनों में संशोधन किया, जिनमें से 12 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर भूमि अलगाव अधिनियम, 1938 और बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, 1950 शामिल हैं, जिसने गैर-स्थायी निवासियों को अलग करके स्थायी निवासियों के लिये भूमि जोत की रक्षा की थी।
 - हाल ही में, जम्मू-कश्मीर (J&K) सरकार ने पश्<u>चिमी पाकसितान शरणार्थियों (WPR) और वर्ष 1965 के</u> भारत-पाकसितान युद्ध के दौरान विस्थापित व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये।
 - ॰ भारतीय नयाय संहत्ता (BNS) (जिसे पहले IPC कहा जाता था) लागू हुई: जम्मू-कश्मीर का विशेष दरजा निरस्त होने के साथ ही सभी

केंद्रीय कानून प्रासंगिक हो गए और राज्य का संवधान अप्रचलित हो गया।

*Up to July 21

- रणबीर दंड संहति। को IPC (अब BNS) से प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा जम्मू-कश्मीर में अभियोजन शाखा को कार्यकारी पुलिस से अलग कर दिया गया।
- ॰ राज्य जाँच एजेंसी (SIA) की स्थापना: नवंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी जाँच एवं अभियोजन के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु एक विशेष एजेंसी के रूप में राज्य जाँच एजेंसी (SIA) की स्थापना की।
- हिसा में कमी: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतविधियों, स्थानीय उग्रवादियों की भर्ती और आतंकवादी हत्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा पिछले पाँच वर्षों में पथराव, अलगाववादी हड़ताल व हिसक वरिशेध प्रदर्शन लगभग समाप्त हो गए हैं।



SOURCE: UT of J&K

- नवीन भागीदारी: जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 वर्षों में अपना सबसेअधिक मतदाता मतदान दर्ज किया, जिसमें कश्मीर घाटी में वर्ष 2019 की तुलना में 30 अंकों की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बादकेंद्रशासित प्रदेश में पहला बड़ा चुनाव था।
- इस क्षेत्र में पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्ध दिर्ज की गई, जिसने वर्ष 2023 में 21.1 मिलियिन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
- इस क्षेत्र में पर्यटन में असाधारण वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023 में 21.1 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलिगा। कोविड-19 और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पर्यटन में वृद्धि हुई, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है।
- व्यापार और नविश: वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर ने वभिन्नि क्षेत्रों में 5,656 करोड़ रुपए का नविश आकर्षित किया।
 - फरवरी 2021 में शुरू की गई **औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना** ने वर्ष 2020-21 में 310 नविश, 2021-22 में 175 और 2022-23 में 1,074 नविश को बढ़ावा दिया।
 - लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि दो वर्षों के भीतर 66,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रस्ताव आए।
- बेहतर बुनियादी अवसरंचना: सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बुनियादी अवसरंचना के विकास में भी महत्त्वपूर्ण निवश किया है। इसमेंनई सडकों, पुलों, सुरंगों और विद्युत लाइनों के निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - ॰ इन सुधारों से लोगों के लिये क्षेत्र में यात्रा करना और व्यापार करना आसान हो गया है।

अनुच्छेद 370 के नरिस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में क्या नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई?

- राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे: 500 से अधिक राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी और संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध के कारण शासन में शून्यता उत्पन्न हो गई तथा स्थानीय अलगाव बढ़ गया।
- सुरक्षा चिताएँ और उग्रवाद: उग्रवादी गतविधियों में पुनरुत्थान के कारण अधिक भर्ती हुई और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ गईं, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ों व नागरिक हादसों की संख्या में वृद्धि हुई।
 - उदाहरण: हाल ही में जम्मू में भारतीय सेना और तीर्थयात्रियों के काफिल पर आतंकवादी हमला।
 - जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का नया रुझान स्थानीय आतंकवादियों की ओर झुकाव, आधुनिक तकनीक का बढ़ता प्रयोग तथा पूर्वी लददाख में सैन्य तैनाती स्थानीय खुफिया तंत्र का कमज़ोर होना दर्शाता है।
- सामाजिक-आर्थिक व्यवधान: लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकुचन हुआ, वशिष रूप सेपर्यटन क्षेत्र में 2020 में 80% से अधिक की गरिावट आई, जिससे बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष बढ़ा।
- मानवाधिकार उल्लंघन: बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिये जाने, सुरक्<mark>षा बलों द्वारा अत्</mark>यधि<mark>क ब</mark>ल प्रयोग तथा अभवि्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले सामने आए, जिससे स्थानीय स्तर पर आक्रोश बढ़ा |
- लद्दाख में प्रशासनिक चुनौतियाँ: विभाजन के कारण लद्दाख में प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जिसमें अपर्याप्त अवसंरचना और शासन व्यवस्था शामिल है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद विकास में अधिक स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिये <u>छठी अनुसूची</u> के तहत शामिल किये जाने तथा पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग कर रही है।
- सांस्कृतिक और पहचान संबंधी चिताएँ: बाहरी लोगों के आने से सांस्कृतिक मिश्रिण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के भय को लेकर क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय लोगों के लिये भूमि एवं नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिताएँ व्यक्त की ।

आगे की राह

- समयसीमा और चुनाव: सर्वोच्च न्यायालय ने सतिंबर 2024 तक चुनाव कराने का सुझाव दिया है। मुख्य कार्यों में एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करना, रसद और सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाना तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना शामिल है।
 - ॰ राज्य की स्थति में सुचारू रूप से परविर्तन सुनश<mark>्चित करने</mark> के लिये **व्यापक राजनीतिक भागीदारी** को प्रोत्साहति किया जाना चाहिये।
- सुरक्षा और मानवाधिकार: नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा संबंधी चिताओं का समाधान किया जाए और शांति को बढ़ावा देने के लिये स्वतंत्र रूप से किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच की जाए।
- आर्थिक और सामाजिक एकीकरण: आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और अवसंरचना में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय सेना
 द्वारा 'ऑपरेशन सद्भावना' के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य और संवाद को बढ़ावा देने के साथ ही शेष शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिय।
 - ॰ **राज्य में सुलह <mark>प्रयासों की नींव</mark> के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कश्मीरयित** (कश्मीर की समावेशी संस्कृति), **इंसानयित** (मानवतावाद) और **जम्हूरयित** (लोकतंत्र) के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
 - केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच निरंतर संचार के माध्यम से पारदर्शिता एवं विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है।
- निगरानी और अनुकूलन: स्थिति की नरिंतर निगरानी कर सफल संक्रमण सुनिश्चिति करने के लिये फीडबैक के आधार पर नीतियों को अनुकूलित कने की आवश्यकता है।

?!?!?!?!?! ?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Q. जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिय । पिछले पाँच वर्षों में हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए स्थायी शांति और एकीकरण के लिये शेष चुनौतियों का अभिनिरिधारण कीजिये ।

UPSC सविलि सेवा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

?!?!?!?!?!?!?!?

प्रश्न. सियाचिन ग्लेशियर स्थित है (2020)

- (a) अक्साई चिन के पूर्व
- (b) लेह के पूर्व
- (c) गलिगति के उत्तर
- (d) नुब्रा घाटी के उत्तर

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखिति क्षेत्रों में से कौन-सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) है? (2008)

- (a) कांगड़ा
- (b) लददाख
- (c) कच्छ
- (d) भीलवाड़ा

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारतीय संवधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट 'ज़म्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध' लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकसि्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवैचना भी कीजिये। (2020)

प्रश्न. जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूम-िउपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूम-िउपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूम-िउपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चरचा कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/5th-anniversary-of-abrogation-of-article-370